संख्या-111/2024/2300/30-3-24-6बी/2014टीसी-III

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2024

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-979स0सु0/2023-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 12-08-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2024-25: प्रस्तावित पूंजीगत योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य के क्रमांक-(1) में अनुमोदित धनराशि रू0 75.72 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 27.33 लाख (रू0 सत्ताईस लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही तालिका के कालम-3 में अंकित कार्यों को कराये जाने हेतु कालम-5 में अंकित कार्यदायी संस्थाओं का भी अनुमोदन प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | कार्य की लागत | आगणन उपलब्ध कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | वाराणसी | पूर्व निर्मित डी0टी0टी0आई0 के परिसर में चेम्बर निर्माण एवं रोड कटिंग व अन्य कार्य | 3.85 लाख | कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी, यूनिट-24 |
| 2 | गोरखपुर | पूर्व निर्मित डी0टी0टी0आई0 के परिसर में चेम्बर निर्माण एवं रोड कटिंग व अन्य कार्य | 1.87 लाख | उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर। |
| 3 | वाराणसी | बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं उसे ऊंचा करने हेतु फैंसिंग व अन्य कार्य | 13.89 लाख | कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), वाराणसी, यूनिट-24 |
| 4 | प्रयागराज | बाउण्ड्री वॉल को ऊंचा करने हेतु फैंसिंग व अन्य कार्य | 7.72 लाख | यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयागराज। |

नियम व शर्तें -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
4. योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉक 04-03-2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-30प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-193-X-2024-25, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-111/2024/2300/30-3-2024, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- सम्बंधित कार्यदायी संस्था।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in